चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सामान्य–08/7131
दिनांक : 21-05-2026

कार्यालय आदेश

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.04.2026 के मद संख्या–10 में पारित संकल्पानुसार विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में वर्तमान में प्रदान किये जा रहे गोल्ड मेडल की संख्या एवं अन्य कतिपय बिन्दु पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत आख्या के आलोक में मा0 कार्यपरिषद् में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में पदक प्राप्तकर्ताओं की श्रेष्ठता सूची तैयार किये जाने हेतु निर्मलिखित नियमावली का अनुमोदन किया गया है :–

दीक्षान्त समारोह के अवसर पर पदक प्राप्तकर्ताओं की श्रेष्ठता सूची तैयार किये जाने हेतु नियमावली :–

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले दीक्षान्त समारोह के अवसर पर पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेष्ठता सूची तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा।

01. विश्वविद्यालय में संचालित संस्थागत पाठयक्रमों/विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता को ही दीक्षान्त समारोह में पदक प्रदान किये जायेंगे। व्यक्तिगत/ओ0डी0एल0 पाठयक्रमों/विषयों में कोई पदक प्रदान नहीं किया जायेगा।
02. "Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE)" scholarship rules के आलोक में विश्वविद्यालय में संचालित किसी भी पाठयक्रम/विषय (मैडिकल के पी0जी0 कोर्स को छोड़कर) में 06 या उससे कम विद्यार्थी होने पर दीक्षान्त समारोह में उक्त पाठयक्रम/विषय को श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और न ही कोई पदक अथवा श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
03. विश्वविद्यालय में संचालित Diploma/Certificate Course को दीक्षान्त समारोह हेतु जारी की जाने वाली श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और न ही इनमें कोई पदक अथवा श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
04. विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में समान पाठयक्रम (Syllabus) होने पर विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह में पाठयक्रमों/विषयों में एक ही पदक प्रदान किया जायेगा, किन्तु परीक्षा परिणाम अलग–अलग पद्वति (CGPA/अंक) से तैयार किये जाने की दशा में अलग–अलग श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।
05. संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करने की स्थिति में बाह्य सैद्धान्तिक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को 01 नम्बर पर तथा कम नम्बर पाने वाले को 02 नम्बर अथवा 03 नम्बर इत्यादि पर रखा जायेगा। दोनो अथवा सभी छात्रों को संयुक्त रूप से पदक प्रदान किये जायेंगे।

06. ऐसे पाठयक्रम जिनकी अध्ययन समाग्री (Syllabus) एक समान है परीक्षा परिणाम एक ही नियम से तैयार किये जाते है किन्तु उन्हें सम्बन्धित पाठयक्रम की अंकतालिका/उपाधि पूर्व पाठयक्रम के आधार पर अलग–अलग जैसे (B.A. Yogic Scince, B.Sc. Yogic Science व M.A. Yogic Science, M.Sc. Yogic Science etc) तैयार की जाती है ऐसे पाठयक्रमों की संयुक्त रूप से श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। श्रेष्ठता सूची में प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र को पदक यथा पाठयक्रम (B.A. Yogic Scince, B.Sc. Yogic Science व M.A. Yogic Science, M.Sc. Yogic Science) प्रदान किया जायेगा।

07. (a) बैक पेपर, श्रेणी सुधार एवं भूतपूर्व छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(b) एक वर्ष /सेमेस्टर का व्यावधान (Gap) वाले छात्रों को सम्मिलित नही किया जायेगा।

(c) यू0एफ0एम0 (UFM) में आरोपित विद्यार्थियों, जिन्हें कैटेगिरी प्रथम मिली हो तो ऐसे विद्यार्थियों को श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। किन्तु किसी एक भी प्रश्नपत्र/कोर्स में एक से अधिक कैटेगिरी मिली है तो श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(d) विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठयक्रमों/विषयों में अगर किसी विद्यार्थी के चुनौती मूल्यांकन के उपरान्त परिवर्तन की दशा में प्राप्त अंकों का संज्ञान लेते हुये श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(e) विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठयक्रमों/विषयों में अगर किसी विद्यार्थी के सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) के उपरान्त परिवर्तन की दशा में प्राप्त अंकों का संज्ञान लेते हुये श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

21.5.26
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. वैयक्तिक सहायक–कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
02. वैयत्तिक सहायक–वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
03. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. वैयक्तिक सहायक–परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक को सूचनार्थ।
06. उपकुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ।
07. सहा0 कुलसचिव (गोपनीय)/प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
08. सहा0 कुलसचिव (परिसर सैल)/प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
09. सहा0 कुलसचिव (व्यवसायिक पाठयक्रम)/प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

21/5/26
सहा0 कुलसचिव (प्रशा0)